

"बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 545]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2013 - अग्रहायण 21, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-8/आठ-परि./2013.-- यतः रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर द्वारा अबुझमाड़िया जनजातियों के समग्र विकास के लिए बहुआयामी सामाजिक सेवाएं प्रदाय की जा रही है. आश्रम के स्वामित्व के विविध प्रकार के मोटरयान, जिसमें बस, कार एवं ट्रेक्टर-ट्रॉली सम्मिलित है, का उपयोग गरीब तथा जनजातीय बच्चों के निःशुल्क आवागमन के लिए तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में किया जा रहा है,

और यतः, राज्य सरकार के मत में रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को मोटरयान कर के भुगतान से छूट दिया जाना जनहित में वांछनीय है,

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान करधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

सारणी

स.क्र.	वाहन पंजीयन क्रमांक	वाहन का प्रकार	चेसिस नम्बर	इंजन नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सो.जी. 21/जी-0175	ट्राली	ए पी यू - 1358	एन/ए

स.क्र. (1)	वाहन पंजीयन क्रमांक (2)	वाहन का प्रकार (3)	चेसिस नम्बर (4)	इंजन नम्बर (5)
2.	सी.जी. 21/जी-0176	ट्रेक्टर	एन पी ए एम सी 277	एन पी ए एम सी 277
3.	सी.जी. 17/जेड जी-0206	ट्रेक्टर	3 ए 17330	ए 55128
4.	सी.जी. 17/जेड जी-0207	ट्राली	आर एस एस सी-150	एन/ए
5.	सी.जी. 17/जेड जी-0328	जीप डीआई	413687	30367
6.	सी.जी. 04/जेड जी-7496	जीप डीआई	डी एच 07402	डी एच 07402
7.	सी.जी. 17/सी-0566	यूटिलिटी	4 डी वाई-डी वाई 58865	डी वाई-58865
8.	सी.जी. 04/जेड पी 5522	मारुति 800	170239	230941
9.	सी.जी. 21/जी-0157	अर्जुन ट्रेक्टर	आर बी एम यू 1035	आर बी एम यू 1035
10.	सी.जी. 21/जी-0155	ट्राली	ए ए एफ-565	एन/ए
11.	सी.जी. 21/जी-0156	युवराज ट्रेक्टर	ए जी आर 8168	ए जी आर 8168
12.	सी.जी. 21/जी-0154	ट्राली	ए ए एफ-566	एन/ए
13.	सी.जी. 21/जी-0162	युवराज ट्रेक्टर	ए जी आर 9180	ए जी आर 9180
14.	सी.जी. 21/जी-0163	ट्राली	ए एस-1314	ए/एन
15.	सी.जी. 17/जेड डी-0327	टेम्पो ट्रेक्टर	टी डी बी 04105 जी 94	एक्स 969100675
16.	सी.जी. 04/डी-7317	एम एण्ड एम ट्रेक्टर	ई एन एस आर 365	ई एन एस आर 365
17.	सी.जी. 04/डी-7318	ट्राली	ए एफ एफ-1372004	एन/ए
18.	सी.जी. 17/एफ-0380	बस	एम ए टी 412108 सी ओ एन 13504	21 के 84078911
19.	सी.जी. 17/एफ-0379	बस	एम ए टी 412108 सी ओ एन 13506	21 के 844081185
20.	सी.जी. 04-2754/टीआर/13	टेल्को लाईन	एम ए टी 37458 सी 9 जे 38033	483 डी एल 1 सी 55 एच एक्स वाई 709587
21.	सी.जी. 04-2752/टीआर/13	टेल्को लाईन	एम ए टी 374585 सी 9 जे 38242	483 डी एल टी सी 55 एच एक्स वाई 709587
22.	सी.जी. 17/सी-3610	एम्बुलेंस/विंगर	एम ए टी 460124 डी यू ए 00105	483 डी एल टी सी 55 ए डब्ल्यू वाई 700157

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

स.क्र. (1)	वाहन पंजीयन क्रमांक (2)	वाहन का प्रकार (3)	चेसिस नम्बर (4)	इंजन नम्बर (5)
23.	सी.जी. 04-2753/टीआर/13	पिक-अप मॉडल	एन एन ए टी 478012 डी 9 सी 07706	497 एस सी 38 डब्ल्यू वाई 613961
24.	नया वाहन	थार जीप एम एण्ड एम	एम ए 1 ए एच 2 जी एल के डी 1 बी 20357	जी एल डी 1 बी 47739
25.	सी.जी.04/जेड डी-7492	ट्राली	3 जे टी-27634	एन/ए

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.के. माथुर, उप-सचिव

Raipur, the 12th December 2013

NOTIFICATION

No. F 5-8/आठ-परि/2013.-- Whereas, Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur is indulged in multidimensional social services for the overall development of Abhujhmariya tribes and various types of motor vehicles, including bus, car and tractor-trolley owned by the Ashram are being used for free transportation of poor and tribal children and in other social services;

And whereas, the State Government is of the opinion that it would be expedient to exempt the motor vehicles owned by Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur from payment of motor vehicle tax in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the motor vehicles owned by the Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur as specified in the table below, from payment of motor vehicle tax leviable under Section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :—

TABLE

S. No.	Vehicle Registration Number	Type of Body	Chasis Number Number	Engine Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CG 21/G-0175	Trolley	APU-1358	N/A

"बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से.
भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142

रायपुर, शनिवार, 6 अप्रैल 2013 - चैत्र 16, शक 1935

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-1/आठ-परि./2013.-- यतः रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर द्वारा अबुलमाडिया जनजातियों के समग्र विकास के लिए बहुआयामी सामाजिक सेवाएं प्रदाय की जा रही है. आश्रम के स्वामित्व के विविध प्रकार के मोटरयान, जिसमें बस, कार एवं ट्रेक्टर-ट्रॉली सम्मिलित है, का उपयोग गरीब तथा जनजातीय बच्चों के निःशुल्क आवागमन के लिए तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में किया जाता है,

और यतः, राज्य सरकार के मत में रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को मोटरयान कर के भुगतान से छूट दिया जाना जनहित में वांछनीय है,

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

सारणी

स.क्र.	वाहन पंजीयन क्रमांक (अस्थायी)	वाहन का प्रकार	चेसिस नम्बर	इंजन नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सीजी 04-3395/टीआर/12	बस	एमएटी 412078 बीओके 18407	11जे63184797

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	सीजी 04-3712/टीआर/12	बस	एमएटी454063सी7के38435	497टीसी92केएक्सवाय 856183
3.	सीजी 04-3396/टीआर/12	बस	एमएटी455103सी8जे35213	497एसपीटीसी 40 जेएक्स 4658875
4.	सीजी 04-3044/टीआर/12	बस	एमएटी454063सी7जी28998	497टीसी92जीएक्सवाय 841733
5.	सीजी 04-3397/टीआर/12	बस	एमएटी455103सी8जे34558	497एसपीटीसी40जेएक्सवाय 657891
6.	सीजी 04-3711/टीआर/12	बस	एमएटी454063सी7के39182	497टीसी92केएक्सवाय 857437
7.	सीजी 04-3045/टीआर/12	बस	एमएटी454063सी7एच34080	497टीसी92 एचएक्सवाय 849226
8.	सीजी 04-टीआरपीआर-टीसी- 0082 (बी)	टाटा ट्रैन्ड डिकोर जीएक्स	एमएटी465031बी9जे27359	2 एलडिकोर 10 जेवायवायजे19251
9.	टाटा मैजिक	टाटा मैजिक	एमएटी491106सीजेके41058	ग्रेक्स 600 डब्ल्यूएस 2 के 8051908
10.	द्वि-पहिया ट्रेक्टर ट्रॉली	अर्जुन ट्रेक्टर	एएफ 948
11.	अर्जुन ट्रेक्टर ट्रॉली	अर्जुन ट्रेक्टर ट्रॉली	एनपीएचजे00140	एनपीएचजे 00140
12.	महिन्द्रा और महिन्द्रा कार	महिन्द्रा और महिन्द्रा कार	सी2के25276	डी076363
13.	सीजी 04-एच/3048	स्कार्पियो	एमएटी455103सी8जे34558

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 5-1/आठ-परि.2013.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी 2-22 छत्तीसगढ़ राजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 414

रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 सितम्बर 2013 – भाद्र 16, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-6/आठ-परि./2013.— छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम के प्रथम अनुसूची में,—

1. मद चार के उप-मद (घ) के खण्ड (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(1) साधारण सेवा या डीलक्स सेवा अथवा वातानुकूलित सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों के सम्बन्ध में ऐसे कुल यात्रियों के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है और जहां एक दिन में अन्तर्राज्यीय मार्ग से भिन्न मार्गों पर सेवा द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी —

(अ) साधारण सेवा के सम्बन्ध में -

(क) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. तक परिचालित -	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 2,300.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 3,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 3,300.00

(ख) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक किन्तु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक) 15 सीट तक	रु. 3,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 4,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 5,000.00

(ग) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक) 15 सीट तक	रु. 4,500.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 5,500.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 6,500.00

(घ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 300 कि.मी. तक परिचालित	
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 5,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 6,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 7,000.00

(ङ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 300 कि.मी. से अधिक किन्तु 400 कि.मी. से अनधिक तक परिचालित	
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 6,500.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 7,500.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 8,500.00

(च) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 400 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 10,500.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 12,000.00

(छ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित	
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 10,000.00

(ज)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किन्तु 450 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 13,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 15,000.00
(झ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 450 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 14,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 16,000.00
(ञ)	जो एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित हो रही है, जिसकी बैठक क्षमता	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 11,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 12,500.00
(ट)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 450 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 18,000.00
(ठ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 450 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 17,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 19,000.00

(ब) डीलक्स सेवा के सम्बन्ध में -

(क)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. तक परिचालित	मासिक कर की दर
(एक)	15 सीट तक	रु. 4,000.00
(दो)	16 से 20 के मध्य	रु. 5,000.00
(तीन)	21 से 25 के मध्य	रु. 6,000.00
(ख)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	15 सीट तक	रु. 6,000.00
(दो)	16 से 20 के मध्य	रु. 7,000.00
(तीन)	21 से 25 के मध्य	रु. 8,000.00
(ग)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	26 से 30 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो)	31 से 35 के मध्य	रु. 10,000.00
(तीन)	36 से 40 के मध्य	रु. 11,000.00

(घ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किन्तु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	26 से 30 सीट के मध्य	रु. 15,000.00
(दो)	31 से 35 के मध्य	रु. 17,000.00
(तीन)	36 से 40 के मध्य	रु. 19,000.00

(ङ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	26 से 30 सीट के मध्य	रु. 20,000.00
(दो)	31 से 35 के मध्य	रु. 22,000.00
(तीन)	36 से 40 के मध्य	रु. 24,000.00

(च)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 18,000.00

(छ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किन्तु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 25,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 27,000.00

(ज)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 27,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 29,000.00

(झ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 20,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 22,000.00

(ञ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 30,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 32,000.00

(ट)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 32,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 34,000.00

(स) वातानुकूलित सेवा के सम्बन्ध में -

(क) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. तक परिचालित	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 5,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 6,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 7,000.00

(ख) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक) 15 सीट तक	रु. 7,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 8,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 9,000.00

(ग) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित	
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 10,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 11,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 12,000.00

(घ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किन्तु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 18,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 20,000.00

(ङ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 18,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 20,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 22,000.00

(च) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित	
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 17,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 19,000.00

(छ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किन्तु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 26,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 28,000.00

(ज)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 28,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 30,000.00

(झ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 22,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 24,000.00

(ञ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 30,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 32,000.00

(ट)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 34,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 36,000.00

“(2) अन्तराज्यीय मार्ग पर चलने वाली साधारण सेवा या डीलक्स सेवा अथवा वातानुकूलित सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात यानों और छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा के सम्बन्ध में, ऐसे कुल यात्रियों के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है और जहां एक दिन में सेवा द्वारा तय की जाने वाली अनुज्ञात कुल दूरी -

(अ) साधारण सेवा के सम्बन्ध में -

(क)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित -	मासिक कर की दर
(एक)	15 सीट तक	रु. 1,200.00
(दो)	16 से 20 के मध्य	रु. 1,600.00
(तीन)	21 से 25 के मध्य	रु. 2,000.00

(ख)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किन्तु 200 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	15 सीट तक	रु. 2,300.00
(दो)	16 से 20 के मध्य	रु. 3,000.00
(तीन)	21 से 25 के मध्य	रु. 3,300.00

(ग)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक किन्तु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	15 सीट तक	रु. 3,000.00
(दो)	16 से 20 के मध्य	रु. 4,000.00
(तीन)	21 से 25 के मध्य	रु. 5,000.00

(घ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	15 सीट तक	रु. 4,500.00
(दो)	16 से 20 के मध्य	रु. 5,500.00
(तीन)	21 से 25 के मध्य	रु. 6,500.00
(ङ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	26 से 30 सीट के मध्य	रु. 2,500.00
(दो)	31 से 35 के मध्य	रु. 3,000.00
(तीन)	36 से 40 के मध्य	रु. 3,500.00
(च)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किन्तु 300 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	26 से 30 सीट के मध्य	रु. 5,000.00
(दो)	31 से 35 के मध्य	रु. 6,000.00
(तीन)	36 से 40 के मध्य	रु. 7,000.00
(छ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 300 कि.मी. से अधिक किन्तु 400 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	26 से 30 सीट के मध्य	रु. 6,500.00
(दो)	31 से 35 के मध्य	रु. 7,500.00
(तीन)	36 से 40 के मध्य	रु. 8,500.00
(ज)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 400 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	26 से 30 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो)	31 से 35 के मध्य	रु. 10,500.00
(तीन)	36 से 40 के मध्य	रु. 12,000.00
(झ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 3,600.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 4,000.00
(ञ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किन्तु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 10,000.00
(ट)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 450 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	41 से 55 सीट के मध्य	रु. 13,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 15,000.00

(उ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 450 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 14,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 16,000.00

(ड) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक अपरिचालित	
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 4,500.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 5,000.00

(ढ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक और 350 कि.मी. तक परिचालित	
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 11,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 12,500.00

(ण) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किन्तु 450 कि.मी. से तक परिचालित	
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 18,000.00

(त) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 450 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 17,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 19,000.00

(ब) डीलक्स सेवा के सम्बन्ध में --

(क) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित.	मासिक कर की दर
(एक) 15 सीट तक	रु. 2,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 2,500.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 3,000.00

(ख) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किन्तु 200 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक) 15 सीट तक	रु. 4,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 5,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 6,000.00

(ग) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक) 15 सीट तक	रु. 6,000.00
(दो) 16 से 20 के मध्य	रु. 7,000.00
(तीन) 21 से 25 के मध्य	रु. 8,000.00

(घ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	26 से 30 सीट के मध्य	रु. 4,000.00
(दो)	31 से 35 के मध्य	रु. 4,500.00
(तीन)	36 से 40 के मध्य	रु. 5,500.00
(ङ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किन्तु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	26 से 30 सीट के मध्य	रु. 9,000.00
(दो)	31 से 35 के मध्य	रु. 10,000.00
(तीन)	36 से 40 के मध्य	रु. 11,000.00
(च)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किन्तु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	26 से 30 सीट के मध्य	रु. 15,000.00
(दो)	31 से 35 के मध्य	रु. 17,000.00
(तीन)	36 से 40 के मध्य	रु. 19,000.00
(छ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	26 से 30 सीट के मध्य	रु. 20,000.00
(दो)	31 से 35 के मध्य	रु. 22,000.00
(तीन)	36 से 40 के मध्य	रु. 24,000.00
(ज)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 6,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 6,500.00
(झ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किन्तु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 18,000.00
(ञ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किन्तु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 25,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 27,000.00

(ट)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	41 से 45 सीट के मध्य	रु. 27,000.00
(दो)	46 से 50 के मध्य	रु. 29,000.00

(ठ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 7,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 8,000.00

(ड)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक और 350 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 20,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 22,000.00

(ढ)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 30,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 32,000.00

(ण)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक)	51 से 55 सीट के मध्य	रु. 32,000.00
(दो)	56 से 60 के मध्य	रु. 34,000.00

(स) वातानुकूलित सेवा के सम्बन्ध में --

(क)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित	मासिक कर की दर
(एक)	15 सीट तक	रु. 2,000.00
(दो)	16 से 20 के मध्य	रु. 2,700.00
(तीन)	21 से 25 के मध्य	रु. 3,500.00

(ख)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किन्तु 200 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक)	15 सीट तक	रु. 5,000.00
(दो)	16 से 20 के मध्य	रु. 6,000.00
(तीन)	21 से 25 के मध्य	रु. 7,000.00

(ग)	बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 200 कि.मी. से अधिक परिचालन	
(एक)	15 सीट तक	रु. 7,000.00
(दो)	16 से 20 के मध्य	रु. 8,000.00
(तीन)	21 से 25 के मध्य	रु. 9,000.00

(घ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित	
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 4,200.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 5,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 6,000.00

(ङ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किन्तु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 10,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 11,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 12000.00

(च) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक किन्तु 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 16,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 18,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 2,0000.00

(छ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक) 26 से 30 सीट के मध्य	रु. 18,000.00
(दो) 31 से 35 के मध्य	रु. 20,000.00
(तीन) 36 से 40 के मध्य	रु. 22,000.00

(ज) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से तक परिचालित	
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 6,500.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 7,000.00

(झ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक किन्तु 350 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 17,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 19,000.00

(ञ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. से अनधिक परिचालित	
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 26,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 28,000.00

(ट) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक) 41 से 45 सीट के मध्य	रु. 28,000.00
(दो) 46 से 50 के मध्य	रु. 30,000.00
(ठ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. तक परिचालित	
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 7,500.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 9,000.00
(ड) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 100 कि.मी. से अधिक और 350 कि.मी. तक परिचालित	
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 22,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 24,000.00
(ढ) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 350 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक परिचालित	
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 30,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 32,000.00
(ण) बैठक क्षमता के साथ एक दिन में 500 कि.मी. से अधिक परिचालित	
(एक) 51 से 55 सीट के मध्य	रु. 34,000.00
(दो) 56 से 60 के मध्य	रु. 36,000.00

2. प्रथम अनुसूची के मद चार उप-मद (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(ड) ऐसा यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात है, और जो -

- (1) आरक्षित प्रक्रम यान के रूप में रखे गए है :-

(एक) साधारण बस के लिए	रु. 100.00 प्रति सीट, प्रति माह
(दो) डीलक्स बस के लिए	रु. 140.00 प्रति सीट, प्रति माह
(तीन) वातानुकूलित बस के लिए	रु. 180.00 प्रति सीट, प्रति माह

- (2) ओमनी बस परिवहन यान के रूप में (प्रयुक्त)/यात्री परिवहन यान के रूप में रखे गये है :-

(एक) साधारण बस के लिए	रु. 100.00 प्रति सीट, प्रति माह
(दो) डीलक्स बस के लिए	रु. 140.00 प्रति सीट, प्रति माह
(तीन) वातानुकूलित बस के लिए	रु. 180.00 प्रति सीट, प्रति माह

3. प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण (2)-

- (क) मद (ग) (एक) के प्रयोजन के लिए, 'एक्सप्रेस सेवा' से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा जो परिवहन प्राधिकारी द्वारा चलाये जाने के लिए अनुज्ञात की गई है।
 - (ख) उप-मद (घ) एवं (दो) के प्रयोजन के लिए कर की दर 'साधारण सेवा', 'डीलक्स सेवा' और 'वातानुकूलित सेवा' पर आधारित है. "साधारण सेवा" में "एक्सप्रेस सेवा", "शयनयान" अथवा "अर्द्ध-शयनयान" सम्मिलित है, और "डीलक्स सेवा" में "डीलक्स एक्सप्रेस सेवा", "डीलक्स शयनयान" एवं "डीलक्स अर्द्ध-शयन यान" सम्मिलित है.
 - (ग) उप-मद (घ) (एक) एवं (दो) के अंतर्गत मासिक कर की दर अनुज्ञा-पत्र के अन्तर्गत एक दिन में परिचालित होने वाली कुल दूरी तथा कुल यात्रियों की संख्या जो ले जाने के लिए वाहन अनुज्ञात है, पर आधारित है. जहां वाहन में शयन लगे हुए हैं, सीटों की संख्या की गणना, स्पष्टीकरण (9) के अनुसार की जाएगी, और तदनुसार कर की गणना की जाएगी और उसके लिए समुचित कर की दर (टैक्स स्लैब) चिन्हित की जाएगी.
4. प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण 8 के खण्ड (दो) में, शब्द "अप्राधिकृत ट्रिप किये जाने" के पश्चात् शब्द "या लोक सेवा यान में सीट और/या शयन का अनधिकृत प्रतिष्ठापन किये जाने" अंतःस्थापित किया जाए.

Raipur, the 7th September 2013

NOTIFICATION

No. F 5-6/VIII-Tr/2013.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Tax Act, 1991 (No. 25 of 1991.), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the First Schedule of the said Act, namely :—

AMENDMENT

First Schedule of the said Act,—

For clause (1) and (2) of sub-item (d) of Item IV, the following shall be substituted, namely :—

"(1) In respect of vehicles permitted to ply as Ordinary service or Deluxe service or Airconditioned service for plying for total passengers which the vehicle is permitted to carry and the total distance permitted to be covered on the routes other than Inter-State route by the service in a day —

(A) In respect of ordinary service-

(a) Running up to 200 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 2,300.00
(ii) between 16 to 20.	Rs. 3,000.00
(iii) between 21 to 25.	Rs. 3,300.00

(b) Running above 200 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 3,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 4,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 5,000.00

(c) Running more than 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 4,500.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 5,500.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 6,500.00

(d) Running upto 300 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 5,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 6,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 7,000.00

(e)	Running above 300 Kms. but not more than 400 Kms in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
	(i) between 26 to 30 seats	Rs. 6,500.00
	(ii) between 31 to 35	Rs. 7,500.00
	(iii) between 36 to 40	Rs. 8,500.00
(f)	Running above 400 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
	(i) between 26 to 30 seats	Rs. 9,000.00
	(ii) between 31 to 35	Rs.10,500.00
	(iii) between 36 to 40	Rs.12,000.00
(g)	Running up to 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
	(i) between 41 to 45 Seats	Rs. 9,000.00
	(ii) between 46 to 50	Rs. 10,000.00
(h)	Running above 350 Kms. but not more than 450 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
	(i) between 41 to 45 seats	Rs. 13,000.00
	(ii) between 46 to 50	Rs. 15,000.00
(i)	Running above 450 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
	(i) between 41 to 45 seats	Rs. 14,000.00
	(ii) between 46 to 50	Rs. 16,000.00
(j)	Running upto 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
	(i) between 51 to 55 seats	Rs. 11,000.00
	(ii) between 56 to 60	Rs. 12,500.00
(k)	Running above 350 Kms. and upto 450 kms in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
	(i) between 51 to 55 seats	Rs. 16,000.00
	(ii) between 56 to 60	Rs. 18,000.00
(l)	Running above 450 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
	(i) between 51 to 55 seats	Rs. 17,000.00
	(ii) between 56 to 60	Rs. 19,000.00

(B) In respect of Deluxe service —

(a) Running up to 200 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 4,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 5,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 6,000.00

(b) Running more than 200 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i) up to 15 seats	Rs. 6,000.00
(ii) between 16 to 20	Rs. 7,000.00
(iii) between 21 to 25	Rs. 8,000.00

(c) Running upto 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 9,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 10,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 11,000.00

(d) Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 15,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 17,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 19,000.00

(e) Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i) between 26 to 30 seats	Rs. 20,000.00
(ii) between 31 to 35	Rs. 22,000.00
(iii) between 36 to 40	Rs. 24,000.00

(f) Running up to 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i) between 41 to 45 seats	Rs. 16,000.00
(ii) between 46 to 50	Rs. 18,000.00

(g)	Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly, Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 25,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 27,000.00
(h)	Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs 27,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 29,000.00
(i)	Running upto 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 20,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 22,000.00
(j)	Running above 350 Kms. and upto 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 30,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 32,000.00
(k)	Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 32,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 34,000.00

(C) In respect of Air-Conditioned service —

(a)	Running up to 200 Kms. in a day with seating capacity	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 5,000.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 6,000.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 7,000.00
(b)	Running more than 200 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 7,000.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 8,000.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 9,000.00

(c)	Running upto 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 10,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 11,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 12,000.00

(d)	Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 16,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 18,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 20,000.00

(e)	Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 18,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 20,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 22,000.00

(f)	Running up to 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 17,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 19,000.00

(g)	Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 26,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 28,000.00

(h)	Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 28,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 30,000.00

(i)	Running upto 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 22,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 24,000.00

(j)	Running above 350 Kms. and upto 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 30,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 32,000.00

(k)	Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 34,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 36,000.00

- (2) In respect of vehicles permitted to ply as Ordinary service or Deluxe service or Air conditioned service plying on Inter-State route and permit granted in the State of Chhattisgarh by the competent Authority for total passengers which the vehicle is permitted to carry and the total distance permitted to be covered by the service in a day —

(A) In respect of Ordinary service —

(a)	Running up to 100 Kms. in a day with Seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 1,200.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 1,600.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 2,000.00

(b)	Running above 100 Kms. but not more than 200 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 2,300.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 3,000.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 3,300.00

(c)	Running above 200 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 3,000.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 4,000.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 5,000.00

(d)	Running more than 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 4,500.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 5,500.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 6,500.00

(e)	Running upto 100 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 2,500.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 3,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 3,500.00

(f)	Running above 100 Kms. but not more than 300 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 5,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 6,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 7,000.00

(g)	Running above 300 Kms. but not more than 400 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 6,500.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 7,500.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 8,500.00

(h)	Running above 400 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 9,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 10,500.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 12,000.00

(i)	Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 3,600.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 4,000.00

(j)	Running above 100 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 9,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 10,000.00

(k)	Running above 350 Kms. but not more than 450 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 13,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 15,000.00

(l)	Running above 450 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 14,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 16,000.00

(m)	Running upto 100 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 4,500.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 5,000.00

(n)	Running above 100 Kms. and upto 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 11,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 12,500.00

(o)	Running above 350 Kms. and upto 450 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 16,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 18,000.00

(p)	Running above 450 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs.17,000.00
(ii)	between. 56 to 60	Rs.19,000.00

(B) **In respect of Deluxe service —**

(a)	Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 2,000.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 2,500.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 3,000.00

(b)	Running above 100 Kms. but not more than 200 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 4,000.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 5,000.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 6,000.00

(c)	Running more than 200 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 6,000.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 7,000.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 8,000.00

(d)	Running upto 100 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 4,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 4,500.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 5,500.00

(e)	Running above 100 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 9,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 10,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 11,000.00

(f)	Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 15,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 17,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 19,000.00

(g)	Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 20,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 22,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 24,000.00

(h)	Running up to 100 Kms. in a day, with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 6,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 6,500.00

(i)	Running above 100 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 16,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 18,000.00

(j)	Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 25,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 27,000.00

(k)	Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 27,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 29,000.00

(l)	Running upto 100 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 7,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 8,000.00

(m)	Running above 100 Kms. and upto 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 20,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 22,000.00

(n)	Running above 350 Kms. and upto 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 30,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 32,000.00

(o)	Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 32,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 34,000.00

(C) In respect of Air-Conditioned service —

(a)	Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 2,000.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 2,700.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 3,500.00

(b)	Running above 100 Kms. but not more than 200 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 5,000.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 6,000.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 7,000.00

(c)	Running more than 200 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	up to 15 seats	Rs. 7,000.00
(ii)	between 16 to 20	Rs. 8,000.00
(iii)	between 21 to 25	Rs. 9,000.00

(d)	Running upto 100 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 4,200.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 5,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 6,000.00

(e)	Running above 100 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 10,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 11,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 12,000.00

(f)	Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 16,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 18,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 20,000.00

(g)	Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 26 to 30 seats	Rs. 18,000.00
(ii)	between 31 to 35	Rs. 20,000.00
(iii)	between 36 to 40	Rs. 22,000.00

(h)	Running up to 100 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 6,500.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 7,000.00

(i)	Running above 100 Kms. but not more than 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 17,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 19,000.00

(j)	Running above 350 Kms. but not more than 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 26,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 28,000.00

(k)	Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 41 to 45 seats	Rs. 28,000.00
(ii)	between 46 to 50	Rs. 30,000.00

(l)	Running upto 100 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 7,500.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 9,000.00

(m)	Running above 100 Kms. and upto 350 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 22,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 24,000.00

(n)	Running above 350 Kms. and upto 500 kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 30,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 32,000.00

(o)	Running above 500 Kms. in a day with seating capacity —	The Rate of Monthly Tax
(i)	between 51 to 55 seats	Rs. 34,000.00
(ii)	between 56 to 60	Rs. 36,000.00

2. For sub-item (e) of Item IV of First Schedule, the following shall be substituted, namely :—

“(e) Vehicles permitted to carry more than six passenger and kept as —

(1) **Reserve Stage Carriage —**

(i)	for Ordinary Bus	Rs. 100-00 per seat per month
(ii)	for Deluxe Bus	Rs. 140-00 per seat per month
(iii)	for Air-Conditioned	Rs. 180-00 per seat per month

(2) **Omni bus (used) as Transport vehicle / passenger Transport vehicle —**

(i)	for Ordinary Bus	Rs. 100-00 per seat per month
(ii)	for Deluxe Bus	Rs. 140-00 per seat per month
(iii)	for Air-Conditioned	Rs. 180-00 per seat per month”

3. For Explanation (2) of First Schedule, the following shall be substituted,, namely :—

“Explanation (2) :—

- (a) For the purpose of item c(i), “an express service” shall mean a service which is permitted to ply by the Transport Authority.
- (b) For the purpose of sub-item (d) (1) and (2) rate of tax are based on “Ordinary service”, “Deluxe service” and “Air-conditioned service”. “Ordinary service” includes “Express service” “Sleeper-coach” or “Semi-sleeper coach” and “Deluxe service” includes “Deluxe-Express service”, “Deluxe sleeper-coach” and “Deluxe semi-sleeper coach”.
- (c) Rate of monthly tax under sub-item (d)(1) and (2) is based on total running distance under a permit per day and total number of passengers which a vehicle is permitted to carry. Where the vehicle is fitted with berths, the calculation of number of seats shall be arrived at as per Explanation (9) and calculation of tax shall be done accordingly and proper tax slab shall be identified therefor.”

4. In clause (ii) of Explanation (8) of First Schedule, after the words “an unauthorized trip” the words “or an unauthorized installation of seats and/or berth in a public service vehicle” shall be inserted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्रमांक 5729/तक./परि./2012.- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक चार के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगर मार्गों के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित निम्नलिखित स्थानों को, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में तथा उल्लिखित शहर/नगर के पार्श्वस्थ क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् -

स (1)	शहर/नगर (2)	पार्श्वस्थ स्थान / क्षेत्र (3)	
01	जगदलपुर	1	जगदलपुर से बड़ाजी व्हाया - संजय मार्केट, बालाजी मन्दिर, धरमपुरा नं. 02, कुम्हरावंद, करजी, पोटेनार, छापर, भानपुरी.
		2	जगदलपुर से बस्तर हाट व्हाया - संजय मार्केट, सर्किट हाऊस चौक, आमागुड़ा चौक, आसना, मेटावाड़ा, बस्तर हाट.
		3	जगदलपुर से नगरनार व्हाया - संजय मार्केट, कोर्ट चौक, रेलवे स्टेशन चौक, पुलिस थाना, बोधघाट, दंडासी, माडिया चौक, रायपुर मोड़ चौक, अड़ावल, सेमरा, मारकेल, नगरनार.
		4	जगदलपुर से बड़ेमुरमा व्हाया - संजय मार्केट, कोर्ट चौक, रेलवे स्टेशन चौक, बोधघाट चौक, सरगीपाल, नियानार, जाटम, उलनार, बड़ेमुरमा.
		5	जगदलपुर से केशलूर व्हाया - संजय मार्केट, गुरु गोविन्द सिंह चौक, गीदम नाका, परपा, पंडरीपानी, डिमरापाल, तेलीमारेगा, केशलूर.
02	राजनांदगांव	1	राजनांदगांव नगर निगम से अर्जुनी व्हाया - पुराना बस स्टैंड, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट लखोली चौक, पुराना गंज चौक, नंदई चौक, इन्दिरा नगर चौक, मेन अस्पताल, कृषि उपज मण्डी, बसन्तपुर चौक, गोकुल नगर, फरहद चौक, जंगलपुर, रामपुर, घेरदा, सिंगारपुर.
		2	राजनांदगांव नगर निगम से सुकुलदैहान व्हाया - इमाम चौक, चिखली चौक, पुराना ढाबा, नया ढाबा, मोतीपुर स्कूल रोड, बजरंगपुर नवागांव, बाटोला, लिटिया.
		3.	राजनांदगांव नगर निगम से सोमनी व्हाया - खुटेरी, ठाकुरटोला, श्रीराम कॉलेज, मनकी चौक, सुन्दरा, परीनाला, नेहरू नगर, रायपुर नाका, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट, रेलवे स्टेशन चौक, नगर निगम.
		4	राजनांदगांव नगर निगम से तुमडीबोड़ व्हाया - नया बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट से पीटीएस, पेण्डी, टीपी नगर, बनभेड़ी, इन्दाभरा, भानपुरी, कोपेडीह, तुमडीबोड़.
		5	राजनांदगांव नगर निगम से सिधोला व्हाया - रेलवे स्टेशन चौक, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट चौक, लखोली चौक, पुराना गंज चौक, नंदई चौक, मोहारा चौक, हल्दी.
		6	राजनांदगांव नगर निगम से ठेलकाडीह व्हाया चिखली चौक, गठुला बोरी, तिलई, पदुमतरा, खपरीखुर्द, ठेलकाडीह.

स (1)	शहर/नगर (2)	पार्श्वस्थ स्थान / क्षेत्र (3)	
03	रायगढ़	1	रायगढ़ से सिंघनपुर
		2	रायगढ़ से बनोरा
		3	रायगढ़ से साईं मन्दिर
		4	रायगढ़ से चन्द्रपुर
04	भिलाई-दुर्ग	1	सीएसईबी चौक से कलेक्ट्रेट काया - सीएसईबी चौक, भोगदा पुलिया, कुरूद, कोहका, अपोलो हास्पिटल, नेहरू नगर, सेक्टर-9, हुडको, सेन्ट्रल जेल, सुराना कॉलेज, हास्पिटल (गांधी चौक) कलेक्ट्रेट.
		2	सुरदुंग से कलेक्ट्रेट काया - सुरदुंग, शिवपुरी, डेरहा लकड़ीटाल, गंगाराम सायकल स्टोर, भोगदा पुलिया, एसीसी चौक, छावनी चौक, पा.हा., सुपेला चौक, नेहरू नगर, मालवी नगर चौक, बस स्टैण्ड, गांधी चौक, कलेक्ट्रेट.
		3	कुम्हारी चौक से रेलवे स्टेशन काया - कुम्हारी चौक, डीएमसी कुम्हारी, साईं मन्दिर, चरोदा, हनुमान मन्दिर, वसुंधरा नगर, भिलाई-3, सिरसा चौक, उमदा, हथखोज, छावनी बस्ती, शासकीय स्कूल के पास, छावनी चौक, रामलू चौक, वैशाली नगर, सांस्कृतिक भवन, अवन्ती चौक, कोहका, जुनवानी चौक, शंकरा इंजीनियरिंग, चिखली, धमधा रोड, धमधा नाका, दुर्ग, ग्रीन चौक, रेलवे स्टेशन दुर्ग.
		4	दुर्ग बस स्टैण्ड से उतई काया - दुर्ग बस स्टैण्ड से गांधी पुतला, साईं मन्दिर चौक, जेल तिराहा, हुडको पेट्रोल पम्प, भिलाई, एमडी बंगला चौक, रूआबांधा, डीपीएस चौक, मझौदा सेक्टर, मैत्रीबाग, रेलवे स्टेशन मझौदा, नेवई, सी.आई.एस.एफ. ट्रेनिंग सेन्टर, उतई.
		5	रेलवे स्टेशन से कुम्हारी काया - रेलवे स्टेशन, ग्रीन चौक, दुर्ग, राजेन्द्र पार्क चौक, मालवीय नगर चौक, बीआईटी कॉलेज, एसएफ बटालियन, गुरुद्वारा चौक, नेहरू नगर, नेहरू नगर चौक, सुपेला चौक, मौर्या चन्द्रा चौक, बसन्त टॉकीज चौक, पावर हाउस चौक, खुर्सीपार गेट, जवाहर लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खुर्सीपार, डबरापारा, भिलाई-3, भिलाई-3 रेलवे स्टेशन, भिलाई-3 बाजार, सिरसागेट, वसुंधरा नगर, भिलाई-3, चरोदा, जांजगिरी, साईंबाबा मन्दिर, कुम्हारी.
		6	दुर्ग बस स्टैण्ड से पावर हाउस रेलवे स्टेशन काया - दुर्ग बस स्टैण्ड से राजेन्द्र प्रसाद चौक, मालवीय नगर, 32 बंगला, सेक्टर-9 तिराहा, सेक्टर 7-8 चौक से सेन्ट्रल एवेन्यू, सेक्टर-6 से सेक्टर-10 चौक, महाराणा प्रताप भवन, जे.पी. चौक से पावर हाउस रेलवे स्टेशन.
		7	पटेल चौक से सिरसा चौक काया - पटेल चौक दुर्ग, गांधी चौक, जी.ई. रोड, सेन्ट्रल जेल चौक, हुडको, भिलाई सेक्टर-9 हास्पिटल, सेक्टर-5, सेक्टर-1 चौक, पावर हाउस चौक, खुर्सीपार, डबरापारा, भिलाई-3, आईल डीपी, रेलवे स्टेशन भिलाई-3, पुराना बस स्टैण्ड, सिरसा चौक.
		8	दुर्ग से सिरसा चौक काया - दुर्ग से कातुलबोर्ड, जुनवानी, अपोलो हास्पिटल चौक, कोहका, अवन्ती चौक, वैशाली नगर, छावनी चौक, हथखोज, उमदा, सिरसा चौक.

स (1)	शहर/नगर (2)	पार्श्वस्थ स्थान / क्षेत्र (3)
		9 पटेल चौक से सिरसा चौक काया - पटेल चौक दुर्ग से गांधी पुतला, बस स्टैण्ड दुर्ग, 32 बंगला, सेक्टर-9 हास्पिटल, सेक्टर-6, सेक्टर-1 चौक, छावनी चौक, हथखोज, उमदा, सिरसा चौक.
		10 दुर्ग बस स्टैण्ड से पावर हाऊस रेलवे स्टेशन काया - स्वरूप टॉकीज चौक, राजेन्द्र चौक, बस स्टैण्ड चौक, 32 बंगला चौक, सेक्टर-9 हास्पिटल, सेक्टर-8 चौक, नेहरू नगर रेलवे क्रासिंग चौक, महाराणा प्रताप चौक, सेक्टर-6, जे.पी. चौक, सेक्टर-2 चौक, पावर हाऊस रेलवे स्टेशन.
		11 मैत्रीबाग से दुर्ग रेलवे स्टेशन काया - मैत्रीबाग, मड़ौदा, मड़ौदा चौक, रूआबांधा, बाजार चौक, सेक्टर-8 चौक, सेक्टर-9 हास्पिटल से 09 गर्ल्स कॉलेज चौक, बस स्टैण्ड दुर्ग, स्वरूप टॉकीज चौक, दुर्ग रेलवे स्टेशन.
		12 दुर्ग रेलवे स्टेशन से बोरिया गेट काया - दुर्ग रेलवे स्टेशन, स्वरूप टॉकीज चौक, बस स्टैण्ड, 32 बंगला चौक, सेक्टर-9 तिराहा, सेक्टर-7-8 चौक से सेन्ट्रल एवेन्यू, सेक्टर-10 चौक, सिविक सेन्टर चौक, सेक्टर-6, सेक्टर-4, सेक्टर-2, सेक्टर-1, मेन गेट, बोरिया गेट.
		13 दुर्ग बस स्टैण्ड से सोमनी काया - दुर्ग बस स्टैण्ड, गंज मण्डी, गंज मण्डी तिराहा, पुलगांव चौक, शिवनाथ नदी, अंजोरा, टेड़ेसरा, सोमनी.
		14 दुर्ग बस स्टैण्ड से नगपुरा काया - दुर्ग बस स्टैण्ड, गंज मण्डी, गंज मण्डी तिराहा, पुलगांव चौक, शिवनाथ नदी, महमरा, गनियारी, नगपुरा मन्दिर.
		15 दुर्ग बस स्टैण्ड से सिरसा काया - दुर्ग बस स्टैण्ड, राजेन्द्र चौक, ग्रीन चौक, एफ.सी.आई. गोदाम, धमधा नाका के पास, अण्डरब्रिज बाईपास के पास, चिखली नाला, जेवरा, सिरसा.
		16 दुर्ग बस स्टैण्ड से अण्डा काया - दुर्ग बस स्टैण्ड, गंज मण्डी, गंज मण्डी तिराहा, पुलगांव चौक, पिसेगांव, कोलिहापुर, चन्द्रखुरी, कोनारी, कुथलेल, अण्डा.
		17 दुर्ग बस स्टैण्ड से चन्द्रखुरी काया - दुर्ग बस स्टैण्ड, उतई टेम्पो स्टैण्ड, पुराना ट्रेचिंग ग्राउंड, पोटिया चौक, पुलगांव चौक, सी.एस.आई.टी. कोलियापुरी, पिसेगांव, चन्द्रखुरी.
		18 दुर्ग बस स्टैण्ड से धनोरा काया - दुर्ग बस स्टैण्ड, गांधी पुतला, लक्ष्मीबाई चौक, सुभाष नगर चौक, कसारीडीह, महाराजा चौक, बोरसी, धनोरा.
		19 दुर्ग बस स्टैण्ड से नगपुरा काया - दुर्ग बस स्टैण्ड, गंजपारा, गंजपारा तिराहा, नयापारा, पंचशील नगर, बघेरा, कोटनी, नगपुरा.
		20 पावर हाऊस बस स्टैण्ड से धनोरा काया - पावर हाऊस बस स्टैण्ड, मुर्गा चौक, इस्पात भवन, बोरिया गेट, जवाहर उद्यान, पेट्रोल पम्प तिराहा, डी.पी.एस. भिलाई, रिसाली चौक, कृष्णा टॉकीज, रिसाली गांव, धनोरा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. के. राठौर, विशेष सचिव.

क्रमांक 5729/तक./परि./2013.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 5729/तक./परि./2013, दिनांक 03-09-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd September 2013

क्रमांक 5729/तक./परि./2012.- In exercise of the power conferred by clause (c) of serial number IV of First Schedule of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) the State Government hereby, notifies the following places mentioned in column (3) of the table below as the adjacent areas to the City/Town as mentioned in column (2) of the said table for the purpose of City Routs, namely —

S.No.	City / Town	Adjacent Places / Areas	
(1)	(2)		(3)
01	Jagdalpur	1	Jagdalpur to Badanji Via - Sanjay Market, Balajee Mandir, Dharampura No. 02, Kumrawand, Karanji, Potanar, Chhapar, Bhanpuri
		2	Jagdalpur to Bastar Hat Via - Sanjay Market, Circuit House Chowk, Amaguda Chowk, Aasna, Metawada, Bastar Hat.
		3	Jagdalpur to Nagarnar Via- Sanjay Market, Court Chowk, Railway Station Chowk, Police Station Bodh Ghat, Dandami Madiya Chowk, Raipur Mod Chowk, Adawal, Semara Market, Nagarnar.
		4	Jagdalpur to Bademurma Via- Sanjay Market, Court Chowk, Railway Station Chowk, BodhGhat Chowk. Sargipal. Niyanar, Jatam, Ulnar. Bade Murma.
		5	Jagdalpur to Keshloor Via - Sanjay Market, Guru Govind Singh Chowk, Geedam Naka, Parpa, Pandaripani, Dimrapal, Teli Marenga, Keshloor.